172

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प जबलपुर) म0प्र0

प्रकरण क्रमांक :- /2016 रिवी 9017-I-16

आवेदिका :- श्रीमती जयवंती सोनी बेवा रमाकान्त सोनी,
निवासी- ग्राम देवरा माल, थाना तहसील - डिण्डौरी, जिला-डिण्डौरी म0प्र0

विरुद्ध

अनावेदकगण :- (1) विवेक कुमार जैन आत्मज प्रेमचन्द जैन ,
(2) विश्वास कुमार जैन आत्मज प्रेमचंद जैन ,
दोनों निवासी मेनरोड, डिण्डौरी , जिला-डिण्डौरी म.प्र.
(3) भागवती पत्नि अम्बिका प्रसाद पाठक ,
निवासी- नर्मदागंज , डिण्डौरी , जिला-डिण्डौरी म0प्र0
(4) म0प्र0 शासन, द्वारा- कलेक्टर, डिण्डौरी (म0प्र0)

श्री एस.के. शर्मा अधिवक्ता द्वारा कैम्प जबलपुर प्रस्तुत। 30/6/16

आवेदन पत्र वास्ते रिवीजन क्रमांक 273/II/2009 को पुन: नम्बर पर लिए जाने बावत्.

आवेदिका माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करती है :--

30 JUN 2016

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P. JABALPUR (M.P.)

(1) यह कि आवेदिका द्वारा माननीय आयुक्त महोदय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2008 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत की गई थी जिसका रिवीजन क्रमांक 273/II/2009 दर्ज किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.4.2016 को सुनवाई के लिए नियत की गई थी ।

(2) यह कि, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिवीजन में सुनवाई दिनांक 27.4.2016 को आवेदिका की तरफ से आवेदिका के अधिवक्ता के निवेदन पर आगामी पेशी दिनांक 29.6.2016 नियत की गई थी, लेकिन दिनांक 29.6.2016 को आवेदिका अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में जाकर प्रकरण में कार्यवाही के लिए उपस्थित हुए तो माननीय न्यायालय की डायरी में प्रकरण दर्ज नहीं होने से संबंधित क्लर्क से जानकारी लेने पर पूर्व

..2

रेस्टो.- 9017-II/16 (सिविल)

23/8/16

आवेदक अधि. श्री एस. एस. ठाकुर को पुर्नस्थापन आवेदन की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदन अधि. उनके बताये गये कारण समाधान कारक होने से यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण सिव. 273-II/09 पुर्नस्थापित करते हुए पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(हस्ताक्षर)
सचिव

(हस्ताक्षर)
(S. S. Thakur
Adv. 23/8/

(हस्ताक्षर)